



सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बेंगलोर
MARATHAHALLI COLONY P.O.
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 1604/Type Approval No. 1604

मद/FOR ITEM: श्री वे कनेक्टर (सेन्ट्रल ड्रॉप टैंक)/
Three Way Connector (Central Drop Tank)

यह प्रमाणित किया जाता है कि एरोनॉटिकल डेवलेपमेंट एजेंसी (एडीए), बेंगलूरु - 560 017 द्वारा अभिकल्पित और विकसित तथा मेसर्स सेंद्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर (सीटीटीसी), बी-36, चंदका इंडस्ट्रियल एरिया, भुवनेश्वर-751 024, उड़ीसा द्वारा उत्पादित "श्री वे कनेक्टर (सेन्ट्रल ड्रॉप टैंक)" पार्ट सं. ए1के -आई 5-2065-000-001 को असेम्बली आरेखन सं. ए1के -आई 5-2065-000-001, इश्यू-शून्य दिनांक 20 नवम्बर 2010, के अनुसार एल सी ए (तेजस) के फ्यूल सिस्टम में उपयोग हेतु उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। यह उत्पाद आर.सी.एम.ए (वायुयान) के समन्वय से नियंत्रक विनिर्देश सं. एचएएल/एडीबी/एलसीए/020102/077, इश्यू-शून्य दिनांक 26 जुलाई 1990, एचएएल/एआरडीसी/एलसीए/020102/176/98, इश्यू-शून्य, दिनांक 06 जून 1998 और परिशिष्ट 'ए' में दर्शाए गए टेस्ट शेड्यूल संख्याओं के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट 'ए' में संलग्न वर्ग रिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट में विवरित आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

This is to certify that the "Three Way Connector (Central Drop Tank)" bearing the Part No. A1K-I5-2065-000-001 designed & developed by Aeronautical Development Agency (ADA), Bengaluru-560017 & manufactured by M/s Central Tool Room & Training Centre (CTTC), B-36, Chandaka Industrial Area, Bhubaneswar-751024, Orissa, is hereby approved for production as per Assembly Drawing No. A1K-I5-2065-000-001, Issue-Nil, Dt: 20th Nov 2010 for use in the Fuel System of LCA (Tejas). The product has been tested as per Governing Specification No. HAL/ADB/LCA/020102/077, Issue-Nil, Dt: 26th Jul 1990, HAL/ARDC/LCA/020102/176/98, Issue-Nil, Dt: 06th Jun 1998 and Test Schedule Nos. as mentioned in Appendix-'A', in co-ordination with RCMA (Aircraft). It has met the requirements as detailed in type record compliance statement enclosed at Appendix 'A'.

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सुपरसीड होती है। इसके उत्पादन के लिए अपनाई गई विधि को अब से सील कर दिया जाता है। उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संलग्न आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में उल्लेखित किया जाना चाहिए।

The Provisional Clearances accorded for this product are hereby-superseded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन 31 दिसम्बर 2015 तक वैध है बशर्ते कि इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाये और इसके बाद में इसका नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (वायुयान), बेंगलूरु - 560 037 से अनुरोध करना होगा।

This Type Approval is valid up to 31st Dec 2015 unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (Aircraft), Bengaluru-560 037, for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.

4. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रेकार्ड में इंगित एसओपी के अनुसार निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र (सेमिलेक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी।

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or changes if any, in the SOP and declared to the performance indicated within the Type Record enclosed herewith are effected.

5. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष के क्लियरेंस निकासी एवं दर्शायी गई विधि के स्पष्ट रूप से कड़े अनुपालन पर आधारित है।


This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India.

संलग्न/Encl : परिशिष्ट-‘ए’/Appendix-‘A’

सं/No. : सेमिलेक /CEMILAC/5070/ टी.ए/TA-1604

दिनांक/Date : 17 Dec 2010

फेक्स सं/fax No: 080-25230856


(डॉ. के.तमिलमणि/ Dr. K.TAMILMANI)
विशिष्ट वैज्ञानिक /Distinguished Scientist
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता) /
Chief Executive (Airworthiness)


17/12


17/12/10


17/12